### 34)

# छ ग, का पुरस्कार प्राप्त कर्ता

	पुरस्कार का नाम	क्षेत्र	प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता
	शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान यातियतन लाल पुरस्कार गुडाधूर सम्मान मिनीमाता सम्मान गुरू घासीदास सम्मान ठा. प्यारेलाल सिंह हाजी हसन अली	आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग अहिंसा एवं गौ सेवा खेल महिला उत्थान सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान सहकारिता	आदिवासी शिक्षण समिति पाडीमल रमेश याज्ञिक व हरिप्रसाद सिंह आशीष अरोड़ा (वॉलीबाल) श्रीमती विन्नी वार्ड डॉ रत्नलाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतु सोनकर प्रीतपाल वेलचंदन और वृजमूषण देवांगन सेमुअल डेनियल
•	महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान पं. रविशंकर शुल्क सम्मान पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान	उर्दू भाषा की सेवा तीरंदाजी सामाजिक एवं आर्थिक योगदान आंचलिक साहित्य	अरविंद सोनी एवं ठेकलाल श्री कंयूर भूषण श्री विनोद कुमार शुक्ल
• • • •	चक्रधर सम्मान डॉ. खूबचंद बघेल अखिल भा. महाराजा अग्रसेन चंदुलाल चंद्राकार स्मृति पुरस्कार	संगीत एवं कला कृषि सामाजिक समरसता प्रिंट मीडिया (हिन्दी)	किशोरी अमोनकर  CG PSC (SSE) 2016  श्री कांत गोवर्धन कुष्ठ निवारण संघ घांपा सुश्री आरती घर
•	मधुकर खेर स्मृति सम्मान दानवीर भामाशाह सम्मान मगवान धनवंतरी सम्मान बिलासा बाई केंवटीन सम्मान संस्कृत भाषा सम्मान	प्रिंट मीडिया (अंग्रेजी) दानशीलता एवं सौहाद आयुर्वेदिक चिकित्सा मछली पालन संस्कृत भाषा प्रसार	बिलासपुर सेवा भारती [CG PSC (SSE) 2016]
•	डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पं. लखनलाल मिश्र सम्मान छ.ग. अप्रवासी भारतीय सम्मान	आदिवासी सेवा और उत्थान श्रम अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए	

### **35**)

# छ ग के व्यक्तितत्व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कता

#### पद्मभूषण



श्री सत्यादेव दुबे 2011 – पद्म भूषण



श्रीमती तीजन बाई 1987 – पद्मश्री 2003 – पद्म भूषण



श्री हवीब तनवीर 1983 – पद्मश्री 2002 – पद्म भूषण

### पद्मश्री

नाम	व्यक्ति	प्राप्त पुरस्कार	योगदान
पं. मुकुटधर पांडेय		पदाश्री (26 जनवरी 1976)	साहित्य लेखन हेतु
राजमोहनी देवी		पदाश्री (1989)	समाज सेवक हेतु

COMPETITION ACADEMY

- COMPETITION ACADEMY

श्री घरमपाल	पदाश्री (1992)	Charles at 18
डॉ. अरूण त्रयंदक	पदाश्री (2004)	
श्री पुनाराम निषाद	पद्मश्री (2005)	पण्डवानी के लोक कलाकार
सुश्री मेहरून्निसा परवेज	पचश्री (1992)	2
डॉ. महादेव प्रसाद	पद्मश्री (1992)	
थ्री जार्ज मार्टिन नेल्सन	पदाश्री (2008-09)	

सुश्री सबा अंजुम	पदाश्री (2015)	खिलाड़ी (हॉकी खेल)
ममता चन्द्राकर	पद्मश्री (2016)	लोक कलाकार एवं गायिका
श्री अरूण शर्मा	पद्मश्री (2017)	पुरात्तात्विक विद्

### (35)


## छ ग के विभिन्न बीर्ड एवं आयोग

आयोग/ बोर्ड का नाम	स्थापना सन्	मुख्यालय	प्रथम अध्यक्ष	वर्तमान पदाधिकारी
1. छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग	14 अगस्त 2008	रायपुर	डॉ. श्यामलाल चतुर्वेदी	विनय कुमार पाठ्क
2. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	24 मार्च 2001	रायपुर		हर्षिता पाण्डेय
3. छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कापीरेशन	2 मई 2002	रायपुर		
4. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग	7 नवम्बर 2005	रायपुर	ए.के. विजयवर्गीय	श्री सरजियस मिंड
<ol> <li>ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं</li> <li>ग्रामीण विकास संस्थान</li> </ol>	1 नवम्बर 2002	रायपुर		
<ol> <li>राज्य पर्यटन मण्डल</li> </ol>	18 जनवरी 2002	रायपुर		
7. छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग	2003	रायपुर	F	
८. छ.ग. लोक सेवा आयोग	23 मई 2001	रायपुर	श्री मोहन शुक्ल	श्री. के. आर. पिस्दा
9. छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग	28 सितम्बर 2001	रायपुर		ठा. रामसिंह
10. छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी	जनवरी 2006	रायपुर		शंशाक शर्मा
11. छ.म. राज्य मानवाधिकार आयोग	16 अप्रेल 2001	रायपुर		जस्टिान राजीव गुप्ता
12. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	20 जुलाई 2001	रायपुर		
13. छ.ग. राज्य अनु.जनजाति आयोग	12 नवम्बर 2000	रायपुर	F	जी.आर. राणा
14. छ.ग. राज्य अनु. जाति आयोग	फरवरी 2001	रायपुर	×	
15.छ.ग.राज्य वित्त आयोग	1 नवम्बर 2000	रायपुर		

### 37

### छ ग बजर एवं आर्थिक समिक्षा 2016—17

#### राजस्व प्राप्तियाँ



#### सकल राज्य घरेलु उत्पाद (GSDP)

	20	2014-15		2015-16	
आधार दर	मूल्य (लाख रू.)	गत वर्ष तुलना में वृद्धि दर	मूल्य (लाख रू.)	गत वर्ष तुलन में वृद्धि दर	
स्थिर भाव पर प्रचलित भाव पर	18882990 22298959	7.85 प्रतिशत 13.00 प्रतिशत	20218017 25144714	7.07 प्रतिशत 12.76 प्रतिशत	



### 3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान (प्रतिशत में)

आर्थिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र	201415	2015-16	2016-17
प्राप क्षेत्र	17.93 प्रतिशत	16.85 प्रतिशत	15.02 प्रतिशत
उद्योग क्षेत्र	46.30 प्रतिशत	49.07 प्रतिशत	49.02 प्रतिशत
सेवा क्षेत्र	35.77 प्रतिशत	34.00 प्रतिशत	35.06 प्रतिशत

### राजकीय उत्पाद में आर्थिक क्षेत्रों का योगदान क्रम —

प्रथम		उद्योग क्षेत्र	(49.02%)
द्वितीय	:	सेवा क्षेत्र	(35.06%)
तृतीय	1	कृषि क्षेत्र	(15.02%)

### प्रति व्यक्ति आय : निवल / शुद्ध राज्य घरेलु उत्पाद पर (NSDP में)

आधार	2015-16	2016-17
प्रचलित भाव पर	84767 स्त्	91772 ₹5

(स्त्रोत :- आर्थिक सर्वेदाण 2016-17, पेज क्र. - 24)

#### सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- प्रदेश में फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है।
- खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है।
- प्रदेश में कुल 12332 उचित मूल्य की दुकान संचालित हो रही है।
- प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू है।
- सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकान वाला जिला राजनांदगाँव
- न्यूनतम उचित मूल्य की दुकान चांला जिला नारायणपुर
- प्रदेश में 5850191 कुल परिवारों को राशनकार्ड जारी किए है। (फरवरी 2017 की स्थिति में)

कुल राशनकार्ड धारकों की वर्गवार संख्या अनुसूचित जाति – 14.58 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति – 32.57 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग – 47.59 प्रतिशत सामान्य वर्ग – 5.24 प्रतिशत

(स्त्रोत :- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, पेज क्र. - 48)

### संस्थागत वित्त ( आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17)

- राज्य में कुल बैंक शाखाएँ 2454
- सहकारी बैंक शाखाएँ 262
- 🛊 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा 🕒 584
- निजी बैंक शाखा 229
- वाणिज्यिक बैंक शाखा 1379
- राज्य में जिला केन्द्रीय सरकारी वैंको की संख्या
   07 (एवं कार्यरत् शाखाएँ 257 है।)
- प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख समिति
   1333 (के माध्यम से 1982 केन्द्रो द्वारा धान उपार्जन)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा वीमा योजना अन्तर्गत पंजीकृत संख्या 46.63 लाख
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत् प्रदेश में कुल खाता 1,21,58934 (08 फरवरी 2017 तक)
- अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या 25000 से अधिक
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या 9.59 लाख
- वर्तमान में कुल विद्युत उपभोक्ता 4 लाख 13 हजार है।

#### मानव विकास सूचकांक : छत्तीसगढ़

- स्वास्थ्य सूचकांक मूल्य 0.49
- जीवन स्तर सूचकांक मूल्य 0.127
- शिक्षा विकास मूल्य 0.526
- छ.ग. मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.358
- छ.ग. का एचडीआई में भारत में स्थान 23 वॉ
- एचडीआई में प्रथम स्थान प्राप्त जिला कोरवा

#### ■ राज्य वित्त आयोग (Finace Commission)

 भारतीय संविधान के अनु. 243(1) के तहत् राज्यपाल द्वारा पंचायतों एवं नगरी निकाय की वित्तीय रिथती का पुनराविलोकन के लिए राज्यवित्त आयोग का गठन किया जाता है।
 ICG PSC (ARTO) 2017]

### 38

### राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ

#### महिला एवं बाल विकास विभाग

- मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजन
  - शुरूआत 6 अप्रैल 2010 (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य गिशन की सहायता से )
  - उद्देदश्य जन्मजात बाधिरता और छोटे बच्चो में होने बाधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना भाषा एवं वाणी का विकास करना ।
- 108 संजीवनी एक्स प्रेस एम्ब्लेंस सेवा
  - शुरुआत 25 जनवरी 2011
  - उदेश्य किसी भी अपात स्थिति जैसे-गंभीर बीमारी,दुर्घटना,आगजनी,व अन्य स्थिति में टोल फ्री नम्बर 108
     पर किसी दूरभाष या माबाईल लैडलाइन से बिना कोड के डायल कर इसे बुलाया जा सकता हैं।
- 104 आरोग्य सेंवा-
  - शुमारंभ 23 सितम्बर 2013 (छ.ग. शासन एवं एन. आर. एच. एम. के द्वारा)
  - उदेदश्य कॉल सेन्टर के माध्यम से विभिन्न स्तरो पर रोगियो के लिए चिकित्सा सलाह या स्वास्थ की जानकारी परामर्श और शिकायत निवारण जैसी सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- जननी सुरक्षा योजना—
  - शुमारंम 2005
  - उदेदश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा और मातृ गृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाने के माध्यम से।
  - प्रवधान अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रू तथा शहरी महिलाओं को 1000रू की राशि दी जाती है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम-
  - शुभारंम 15 अगस्त 2011
  - उदेदश्य गर्भवती महिलाओं एवं जन्म से एक माह तक के नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ सुविधा हेतु।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना—
  - शुरुआत वित्तीय वर्ष 2005–2006 से

[CG PSC (main) 2011]

- राशि 15 हजार रू
- राश
   उदेश्य
   निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कितनाईयों का निवारण हेतु।
  - सादगीपूर्ण विवाहों को बढावा देकर,विवाह के फिजुल खर्च को कम करना।
  - पात्रता—मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के अंतर्गत् कार्ड धारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु
    वर्ग की अधिकतम दो कन्याओं को शर्त पूर्ण करने पर।

- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना :-
  - प्रोत्साहन राशि 50 हजार रूपये
  - पति-पिल दोनों की निःशक्तता की स्थिति में 1 लाख रूपये प्रदान किया जायेगा ।
- समेकित बाल विकास के उददेश्य -समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के मुख्य उददेश्य निम्नलिखित है -

1. बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नीव डालना ।

2. 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना ।

3. मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कुल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना ।

4. बाल विकास को बढावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागु करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना ।

समेकित बाल विकास परियोजना के सेवाये - समेकित बाल विकास परियोजना के उददेश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियो को. निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती है:--

큙.	सेवा	हितग्राही
1.	टीकारण	आंगनबाडी केंन्द्र के परिक्षेत्र की अमस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी वालिकाएँ एवं 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2.	स्वास्थ्य जींच	आंगनवाडी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाए धात्री मातॉए o से 6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकांए।
3.	संदर्भ सेवाएं	आंगनवाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंम्भीर कुपोषित वच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलॉए /शिशुवती मातॉए।
4.	पूरक पोषाहार	आंगनबाडी केन्द्र परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलॉए, शिशुवित मॉताए 6 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5.	स्वास्थ्य पोषण	आंगनबाडी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15-45 साल की महिलाये, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं शिक्षा किशोरी बालिकांए
6.	शाला पूर्व	आंगनवाडी केन्द्र के परिक्षेत्र के 03 – 06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

#### स्वावलंबन योजना–

वर्ष 2009-10 में।

विधवा,कानूनीतौर,पर तलाकशुद्धा अथवा 35 से 45 आयु वर्ग को अविवाहित महिलायों को 5 हजार तक ऋण आसान तरीके से उपलब्ध कराना।

#### सबला योजना-

11 से 18वर्ष तक के किशोर बालिकाएं समुह। लक्षित समूह

10 जिला(रायपुर,गरियाबंद,बलौदाबाजार,रायगढ़,राजनांदगांव,कोण्डागांव,बस्तर,सरगुजा,सूरजपुर,बलरामपुर में) लक्षित जिला इस योजना के तहत् 11 से 14 वर्ष तक के आयु की शाला त्यागी एवं 14-18 वर्ष तक की सभी प्रवधान

किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है।

#### किशोरी शक्ति योजना

11 से 13 वर्ष तक के किशोरी बालिकाए। लक्षित समूह

सबला योजना छोड़कर शेष जिला में संचालित । लागू जिला

इस योजना में पूरक पोषण आहार प्रदान नहीं किया जाता है, योजनांतगर्त प्रशिक्षण एवं विभाग प्रावधान द्वारा महिलायों के लिए संचालित विभागीय संस्था पर संलयन करवाना है।

प्रारंभ – मई 2016

स्थान – सलगंबाकला, सोनहट (कोरिया)

उद्देश्य – गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त करना।

 प्रावधान — इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री 'अमृत' योजना :--

प्रारंभ – 29 अप्रेल 2016

स्थान – सुकमा

उद्देश्य — 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना

प्रावधान – आंगनबाड़ी केन्द्रो में बच्चों को सुगधित व मीठा दूध वितरित करना।

नोटः – इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहकारी दुग्ध ब्राण्ड देवभोग का 100 एम एल दूध वितरित किया जा रहा है।

देश का पहला बन स्टाप सेंटर सखी का शुभारंम :--

शुमारंम – 16 जुलाई 2015

 केन्द्रीय महिला एवं वाल विकास मंत्री श्रीमति मेनका गांधी और डॉ. रमन सिंह ने कालीवाड़ी के नजदीक जिला अस्पताल परिसर में बन स्टाप सेंटर का विधिवत शुभारंग

टोल फी न. 181

#### कृषि विभाग

शाकम्बरी योजना :--

उद्देश्य – लघु सीमांत कृषको को कूप निर्माण एवं पम्प के लिए अनुदान।

किसान समृद्धि योजना :--

उद्देश्य – वृष्टिछाया जिलो में एवं अकाल की स्थित के निवारण हेतु ।

क्षेत्र – वृष्टिछाया जिले के 25 विकासखंण्ड एवं सभी 85 आदिवासी विकासखंण्ड में लाग्।

इंदिरा खेत योजना :--

उद्देश्य – सूखे से निजात हेतु सिंचाई पंम्प की स्थापना।

कृषक जीवन ज्योति योजना :--

उद्देश्य – 5 HP तक सिंचाई पम्पों को बिजली प्रदाय करना ।

मूईयां :--

उद्देश्य – किसानो को कम्पयूटरीकृत भू—अभिलेख एवं नक्शा खसरा प्रदान ।

सौर सुजला योजना –

प्रारंम – 1 नवम्बर 2016

• स्थान – रायपुर

 57 हजार किसान को वितरण का लक्ष्य अएच,पी. के मोटर पम्प 1 लाख रूपये एस.टी व एस.सी. को 7 हजार रूपये ओ.बी.सी. को 12 हजार, समान्य वर्ग को 18 हजार

5 एच.पी. के मोटर पम्प 4.50 लाख रूपये को एस.सी. व एस.टी हेतु10 हजार रू. ओ.बी.सी. हेतु 15 हजार रू. एवं 20 हजार रू.

• यह वितरण लक्ष्य 1 नवम्बर 2019 तक का है।

#### छ.ग. विशिष्ट अध्ययन (हरिराम पटेल)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छ.ग. के 13 लाख 66 हजार 302 किसान शामिल हो चुके हैं।

यह बीमा चालू खरीफ मौसम के लिए हैं। इनमें बारह लाख नौ हजार 357 ऋणी तथा एक लाख 56 हजार 945 अऋणी किसान

खरीफ मौसम 2016 में 12 लाख तीन हजार 919 किसानों का बीमा हुआ था इनमें 11 लाख 63 हजार 658 ऋणी तथा 40 हजार 261

किसान तरक्की योजना :--

मरहान जमीनों पर सामूहिक रूप से साग—सब्जी की खेती शुरू करने की नई पहल शुरू हुई है। जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा जिले की दस गांवों की लगभग 1 हजार एक्कड़ मरहान जमीनों को विकसित कर सब्जी – भाजी की खेती करने किसान तरककी योजना की शुरूआत की गई।

प्रघानमंत्री जन – घन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन — धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपवारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वमौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य वैकिंग खाते के साथ वैकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई हैं।

दिनोंक 8.2.2017. की स्थिति में 1.22 करोड़ खाते खोलकर 99.96 प्रतिशत परिवार सम्मिलित हो चुके हैं।

मोचो बाड़ी परियोजना :--

दंतेवाड़ा जिलों में किसानों को जैविक खेती के जरिये आत्म निर्भर बनाने के लिये चल रही मोद्यो बाडी परियोजना की प्रदर्शनी लोगों के

उद्देश्य - किसानों को साग - सब्जियों की खेती तथा धान की उन्नत खेती के लिये प्रोत्साहित करना।

#### शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ युवा सूचना कांति योजना :--

शुभारम 2012

उदेश्य युवाओं में सूचना कांति को बढावा ।

क्षेत्र पूरे प्रदेश

इजीनियरिंग एवं मेडिकल के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को लैपटाप । पात्रता

रनातक, रनातकोत्तर के विद्यार्थियों को निःशुल्क टेबलेट।

छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना :-

शुभारंम 2005

'वालिकाओं मे कम्पयूटर शिक्षा को बढावा । उदेश्य

ग्रामीण क्षेत्र के समस्त वालिकांओ प्रथम चरण -क्षेत्र

शहरी क्षेत्र की ST / SC एवं समस्त BPL वालिकाओं

द्वितीय चरण - पदेश के समस्त बालिकाओं को ।

सरस्वती सायकल योजना :--

2004-05 श्मारंभ

बालिकाओ को परिवहन व्यवस्था उदेश्य

हाईस्कुल मे अध्यनरत् बालिकॉए पात्रता

समस्त ST / SC एवं BPL परिवार की वालिकॉए

- निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (उडान)
  - जिला कवर्धा
  - उदेदश्य बैगा आदिवासी बच्चो की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ।
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
  - शुभारंभ 2014
  - उदेदश्य नक्सल हिंसा, से पीडित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार।
  - घटक इसके चार घटक है
  - आस्था आस्था के तहत एक ऐसी पीडित परिवारों के बच्चों को पहली कथा से बारहवी तक गुरुकुल पद्वति से शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा में आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है।
  - 2. निष्ठा इसके तहत गांव के बच्चो के शिक्षा के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाता है ।
  - अत्राह्मा । तथा जाता ह ।
     सहयोग के अंतर्गत नक्सल हिंसा के बेसहारा हुये बच्चों को कॉलेज स्तर तक की पढ़ाई की सुविधा देने का प्रावधान है।
  - प्रयास प्रयास के तहत ग्यारहवी और वारहवी कक्षाओं के बच्चों को उनकी नियमित पढाई के साथ –साथ पीईटी,पीएमटी, ओर अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए विशेष कोंचिंग प्रदान की जाती है।
- प्रयास विद्यालय अनुसुचित जनजाति जिलो मे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में कक्षा 12वी तक की शिक्षा प्रदान करते हुए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। राज्य में इस प्रकार की 06 विद्यालय संचालित है।
- रोशनी कार्यक्रम प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में संघालित, इसके अन्तर्गत 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन हेतु
   प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

#### वन विकास विभाग

- इन्द्रा हरेली सहेली योजना
  - उददेश्य अनुपयोगी भुमि पर फलदार वृक्ष लगाने हेतु ।
- सामाजिक वानिकी योजना गांव के आसपास के खाली जगहों पर समाज के लोगों द्वारा मिलकर फलदार वृक्ष लगाकर हरियाली में वृद्धि करना।

छ.ग. विशिष्ट अध्ययन (हरिराम पटेल) 293

#### स्वास्थ्य विभाग

स्पर्श :-

कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु। उददेश्य यह अभियान वर्ष 2015 के लिए अगस्त माह से अक्टूबर (3 माह) की अवधि तक चलाया गया ।

दिव्यांगजनों के लिए "निरामया" बीमा योजना -

- राज्यपाल बलरामदास टंडन और मुख्यमंत्री डाँ, रमन सिंह ने दिव्यांगजनों के लिए राज्य में "निरामया" बीमा योजना की शुरूआत किया । भारत सरकार के सहयोग और छ.ग. के प्रयास से प्रारंभ इस योजना के तहत् दिव्यांगजनों के लिए बहुविकलांगता से पीडित दिव्यागंजनों का एक- एक लाख रूपयें का वीमा किया जायेगा ।
- मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना -
  - 0-15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना :--
  - 21 अक्टूबर 2012
  - 30 हजार रूपये से बढ़कर 50 हजार रूपये कर दिये
    - इसके साथ वायोमैट्रिक्स युक्त स्मार्टकार्ड प्रदान किया जाता है।

#### संरचनात्मक विकास योजना

- मुख्यमंत्री एल.ई.डी लैम्प वितरण योजना :-
  - 13 अप्रैल 2016 शुभारंम
  - राजनांदगांव से स्थान

इस योजना के तहत -

- बीपीएल परिवारों को 3-3 एलईडी बल्ब निःशुल्क प्रदान
- एपीएल परिवार को 10 नग बल्ब सशुल्क प्रदान जिसकी प्रति बल्ब राशि 85 रू है। किन्तु अब 65 रू में दिया जा रहा है।
- वॉट 9 वॉट
- गारंटी 3 वर्ष के लिए
- अटल आवास योजना
  - समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को न्यूनतम दर पर भवन उपलब्ध कराना। उद्देश्य
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन योजना :--
  - 21 फरवरी 2016 प्रारंभ
  - कुर्रुभाठ , डोगरगड, राजनांदगांव स्थान
  - श्री मोदी जी ने इस अवसर पर धमतरी जिले के कोटभरी निवासी वयोवृद्ध महिला 104 वर्षीय श्रीमती विशेष कुंवर बाई के पैर छुकर उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया । उन्होंने बकरी बेच कर शौचालय का
    - इस मिशन के शुभारंभ के साथ प्रधानमंत्री ने राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी व छुरिया नामक 2 विकासखण्डों को खुले में शोच मुक्त विकासखण्डों को खुले में शीच मुक्त विकासखण्ड घोषित किया।

COMPETITION ACADEMY

- नोट:- प्रधानमंत्री ने नया रायपुर में सबके लिए आवास योजना का शिलान्यास किया।
  - छ.ग. में जेनरिक दवाई की बिक्री हेतु 100 मेडिकल स्टोर्स योजना का शुभारंम किया।
- हमर छ.ग. योजना :--
  - प्रारंभ · 1 जुलाई 2016
  - स्थान नया रायपुर
  - उद्देश्य ग्राम व नगर पंचायत के जन प्रतिनिधियों को प्रदेश शासन की योजनाओं व उपलब्धियों से अवगत कराना।
  - प्रमुख तथ्य छ.ग. शासन की उपलब्धियों को जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्मित हमर छ.ग. फिल्म के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।
    - इसके लिए नया रायपुर में इमर्सिव डोम डडी थियेटर में डाक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। यह मध्य भारत का पहला इमर्सिव डोम है।
- बस्तर नेट परियोजना :--
  - बस्तर संभाग के निर्धारित रूप से नेटवर्क से जोड़ने के लिए।
  - राज्य :सरकार बस्तर में यह डिजिटल हाइवे होगा।
  - 40 करोड़ के लागत से 832 कि.मी. तक विछेगी
- मोर जमीन मोर मकान योजना :--
  - शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को सरकार उनकी जमीन पर मोर जमीन—मोर मकान योजना की शुरुआत की जा रही
     है। यह योजना प्रदेश के सभी 168 निकायों में लागू होगी
  - पहले घरण में इसे 36 निकायों में लागू किया जा रहा है।
  - मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत् 30 वर्ग मीटर एरिया तक के आवास का नव निर्माण व विस्तार के लिए वितीय सहायता उपलब्ध कराई जाएंगी।
- ग्राम उदय से भारत उदय अभियान :- 14 अप्रैल से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरूआत हुई । 14 अप्रैल से
  24 अप्रैल तक तीन चरणों में आयोजित किया गया। इसके चरण में 14 अप्रैल से 16 अप्रैल को सामाजिक समरसता, दूसरे
  चरण में 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ग्राम किसान सभा तथा तीसरे चरण में 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विशेष ग्रामसभा
  आयोजित किए गए।
  - बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार से जोडने के पूर्व से व्यवसायरत लोगों के व्यवसाय को उन्नत करने जिलें में संचालित महत्त्वकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में कांकेर जिला छ.ग. में प्रथम स्थान में है। कांकेर जिले ने योजना के तहत् प्राप्त लक्ष्य से अधिक लगभग 120 प्रतिशत लक्ष्य के पूर्ति पर अव्वल स्थान प्राप्त किया ।
- मुख्यमंत्री बाड़ी—बांस योजना शुरू :- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का उपयोग और उसकी बढ़ती हुई मांग को
   देखते हुए बांस के उत्पादन के लिए बाड़ी बांस योजना शुरू की गयी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ढाई
   करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- निः शुल्क किताबे वितरण 2005-06 से संचालित :--
- छात्राओं को निःशुल्क सायकले वितरण 2013 –14 से संचालित ।
- मुख्यमंत्री बाल मविष्य के अंतर्गत आस्था निष्ठा एवं प्रयास विद्यालय संचालित है।

- डिस्ट्रिक्ट परियोजना (चॉइस 2.0):-

परियोजना का मूल उद्देश्य शासन के दस्तावेज तथा जानकारिया कहीं भी - कभी भी आधार पर नागरिकों उददेश्य को उपलब्ध कराना है। इस परियोजना की कार्य प्रतिभा इलेक्ट्रानिक है। जो नागरिकों को सरलता एवं पारदर्शिता से शासन की सेवायें उपलब्ध कराती है।

चिप्स की 'सीजी स्वान 2.0' परियोजना का शुमारंम :--

केंदीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने छ.ग. के 16वें राज्योत्सव समारोह के समापन अवसर पर चिप्स की सीजी स्वान (c.g. swan) 2-0 परियोजना का शुभारंभ किया ।

यह परियोजना राज्य में संचालित अनेक वहद परियोजनाओं जैसे ई – डिस्ट्रिक सीसीटीएमए, वाई – फाई सिटी, लोक सेवा केन्द्र,सामान्य सेवा ,च्वाईस, जीआईएस, छत्तीसगढ़ डाटा सेंटर, सेतु आदि के संघालन में सहायता प्रदान कर रही है।

दीनदयाल आवास योजना :--

उददेश्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराना। हितग्राही पात्रता - बी. पी.एल. परिवारों को।

अटल विहार योजना :--

5 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों / गांवों, औद्योगिक/ कुटीर उद्योगों के कलेक्टर तथा उनके उददेश्य आस - पास के क्षेत्रों में सर्वसुविधायुक्त वसाहट विकसित करना तथा इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तायुक्त आवास उचित कीमत पर उपलब्ध कराना।

मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना:-

छोटे गैर कॉरोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवरथा में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई हैं। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवन स्तर में सुधार लायेगा वरन् नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। योजना के तहत छोटे उद्घोगों एवम् दकानदारों को ऋण सुविधा तीन चरणों

शिशु ऋण योजना - कुटीर उद्योग की शुरूआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान हैं।

किशोर ऋण योजना - इसमें ऋण की राशि पवास हजार से पांच लाख तक की जा सकती हैं।

इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया सकता है। तरूण ऋण योजना

महात्मा गांघी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना –

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में प्रथम चरण में 11 जिले में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई।

दिनांक 01 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील हैं।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से वढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा हैं। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का राज्य शासन द्वारा किया जाता हैं।

योजनांतर्गत वर्तमान में रू. 167 /-प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 अनुपात में राशि व्यय का प्रवधान हैं।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है -

मुमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु पंप सेट, कम्प्रेशर हैमर, लिप्ट डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये-पादर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड, वाटर ब्रोसर खोदने के लिए -स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8-20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिए-मिक्सर और मैविनकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन-मशीन फार सी एस सी एस ई वी का प्रवधान किया गया है।

 विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकास भत्ता के रूप में एक माह मातृत्व अवकास मत्ता का मजदूरीराशि का भुगतान किया जा रहा है जिसका वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

■ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' (NRLM) –

 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुर्नगठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया।

योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60.40 के अनुपात के अनुपात में केया जा रहा हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
 मिशन का उदेदश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना हैं।

#### प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) –

• इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालित की जा रही हैं। योजनांतर्गत इस वर्ष 166801 आवास निर्माण का लक्ष्य की पूर्ति के लिए 208942.40 लाख का एलोकशन निर्धारित हैं।

• वर्ष 2016-17 में SECC डाटा 2011 में दिए गए आकड़ो के आधार पर ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों चयन किया जा रहा है।

न्यूनतम 25 वर्ग मीटर में ही आवास का निर्माण किया जाना है।

योजनांतर्गत राशि का अनुपात 60.40 निर्धारित हैं। वर्ष 2016-17 से सामान्य जिलों के लिए राशि रू. 1.20 लाख एवं आई. ए.पी. जिलों के लिए 1.30 लाख प्रति आवास इकाई लागत निर्धारित की गई है जो 03 किश्तों में 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के मान से एफ.टी.ओ.(FTO) के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि का भुगतान किया जा रहा हैं।

सामान्य जिले के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू. 1.47 लाख एवं आई.ए.पी.. जिलों के प्रत्येक हितग्राही को कुल राशि रू.

1.57 लाख मिलेगा।

#### प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना –

 गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नित की कल्पना अच्छी सड़कों के विना संभव नहीं हैं। इसलिऐ आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जाये। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" इस उद्देदश्य के साथ प्रारंभ की गई थी।

"सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससें अधिक आवादी की समस्त बिना जुड़ी हुई

वसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़को से जोड़ा जाना हैं।

प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्ड़ों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को ।

#### मुख्यमंत्री ग्राम सङ्क एवं विकास योजना –

 23 अप्रैल 2011 से लागू राज्य घोषित योजना के अंतर्गत ऐसी बसाहटे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डो मे नही
है, के अपुरूप कोर नेटवर्क में शामिल उन बसाहटों को जोड़ने का प्रवधान हैं। वर्तमान में इस योजना अंतर्गतप्रदेश के सामान्य विकासखण्डों के 2501 या उससें अधिक जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जााना है।

#### खाद्यान्न योजना

नागरिक पंजीयन प्रणाली -

छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण छत्तीसगढ़ जन्म मृत्यु पंजीयन नियम 2001 के अंतर्गत किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2008 से पूर्व जन्म मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थाने में किया जाता था,जो जनवरी 2008 से शहरी एवं ग्रमीण ईकाइयों को हस्तांतरित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 27 जिलों में 10975 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत

के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म मृत्यु पंजीयन करते है।

- शहरी क्षेत्र मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीयक है। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा ,जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र उप स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य शासकीय अस्पताल में घटित महिला एवं वाल विकास विभाग 02 अक्टूबर 1975 को समेकित वाल विकास सेवा परियोजना प्रांरम किया गया।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का राज्य में शुमारंग मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह ने कृषि उपज मंडी परिसर बसंतपुर राजनांदगांव में जिले की लगभग पांच हजार महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण कर उन्हें रक्षा बंधन और तीजा का उपहार दिया। डॉ, रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुमारंभ किया ।

सिर्फ 200 रूपये के पंजीयन शुल्क पर एक दो वर्नर वाला गैस चूल्हा, भरा हुआ सिलेण्डर, रेग्यूलेटर और गैस पाईपन

सहित गैस कार्ड और कनेक्शन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेगें

200 रूपये में से वाद में 170 रूपये भी हितग्राहियों को वापस मिलेंगें ।

- 2011 जनगणना के आधार पर 10 लाख गरीब परिवार को कनेक्शन दिया जायेगा।
- संकटग्रस्त लोगो की मदद के लिए अब एकीकृत हेल्प लाईन 112 शुरू करने का प्रस्ताव :--राज्य सरकार आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक विपदा और गंभीर बीमारीयों से संकटग्रस्त लोगों को तुरंत मदद के लिए एकीकृत आपातकालीन हेंल्पलाइन नम्बर 112 शुरू करने का प्रस्ताव है। अपराध नियंत्रण में भी यह हेल्प लाईन नंबर काफी उपयोगी होगा ।

#### नोट -

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना – 1 अप्रैल 2007 से लागू है।

अन्त्योदय अन्नयोजना – अति गरीव परिवार के लिए मार्च 2001 से लागू है।

अन्नपूर्णा योजना – 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वेसहारा वृद्धि के लिए अक्टूबर 2001 से लागू है।

चना योजना - जनवरी 2013 से

पीला मटर दाल - मई 2013 से

मेरी पीडीएस मेरी मर्जी योजना 2012 से लागू है।

सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियाकलाप 2007 से पूर्णतः कम्प्यूटीकृत है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सतत् निगरानी हेतु फरवरी 2008 को चावल उत्सव शुरू किया ।

#### सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

जनवरी 2017 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1320 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11029 कुल 12347 उधित मुल्य की दुकानें संचालित है।

#### छ.ग. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 -

छ.ग स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत् राशनकार्ड घारकों के हित में राशन की तालिका निम्नानुसार है –

#### योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर -

क	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईन्ड , आयोडाईज्ड अमृत नमक	मिट्टी तेल	चना .
1.	प्राथमिकता (नीला) राशनकार्ड	7 किलो प्रति सदस्य, 1 रू. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशनकार्ड 1_किलोग्राम, 13.50 रू, प्रति किला दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम — 2 ली. ग्रामीण क्षेत्र में — गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम — 2 ली. की दर से तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 3 ली.न्यूनतम 15 रू. एवं अधिकतम 17.20 रू. प्रति ली.की दर से प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह	अनुसूचित विकासखण्ड के हितग्राहीयों को प्रतिमाह 02 किग्रा. 5रू. प्रतिकिलो
2.	अन्त्योदय (गुलाबी) राशनकार्ड	35 किलो 1 रू. प्रति किलो की दर से प्रति माह प्रति राशनकार्ड	1.6.		Ti-	
3.	अन्तपूर्णा (स्पेशल गुलाबी) राशनकार्ड	10 किलो निःशुल्क,25 किलो 1 रू. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड			× <sub>a</sub>	* 1
٤.	एकल निराश्रित (गुलाबी)	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड				
5.	निःशक्तजन (हरा) राशनकार्ड	10 किलो 1 रू. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड	निरंक	निरंक		निरंक

(स्त्रोत :- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 , पेज क्रं - 47)

1)

## नगरीय निकाय प्रशासन

मारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 थ के तहत नगरीय निकायों की संवैधानिक व्यवस्था किया गया है। जिसके अनुसार –

琢.	व्यवस्था	निकाय	जनसंख्या
1.	संक्रमणशील क्षेत्रो	नगर पंचायत	5000 - 20,000
2,	लघुत्तर नगरीय क्षेत्रो	नगर पालिका परिषद	
3.	वृहत्तर नगरीय क्षेत्रो	नगर निगम	1 लाख से अधिक

संक्रमणशील क्षेत्रों से आशय ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में संक्रणगत क्षेत्र से है।

नगरीय निकाय गठन का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है।

74वॉ संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान अनुसुची 12 में नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संम्पूर्ण भारत में 20 अप्रैल 1993 से लागु है ।

विधियों का अनुकुलन आदेश 2001 के अंतर्गत दिनोंक 4/12/2001 के अनुसार म.प्र. पुर्नगठन अधिनियम 2000 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में अनुकुलन आदेश के तहत प्रवृत्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ राजधात्र भागा दिनोंक 19/7/2012 में प्रकाशित हुआ ।

संविधान (चौहत्तरवा संशोधन ) अधिनियम 1992 (20 अप्रैल 1993) हारा प्रदत्त शक्ति कि प्रयोग में विधियों के अनुकुलन आदेश 2001 द्वारा

> भाग 9 - क नगरपालिकॉए

#### 243 त (परिभाषाएँ)

"महानगर क्षेत्र" से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जोदो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

" नगरपालिका " से अनुच्छेद 243-थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है।

जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत हैं जिसके सुसंगत ऑकडे प्रकाशित हो गए है।

थ (नगरपालिकाओं का गठन) -

प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिये अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का ( चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)

ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी

औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही है ।

इस अनुच्छेद में " संक्रमणशील क्षेत्र " लघुत्तर नगरीय निकाय क्षेत्र" या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र"से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रायोजनों के लिये उस क्षेत्र की जनसंख्या उसमें जनसंख्या की संघनता स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व किया से भिन्न कियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या अन्य ऐसी बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान मे रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

243 - द (नगरपालिकओं की संरचना) -

- किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरें जायेंगे और इस प्रायोजन के लिए,प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की प्रादेशिक निर्वाचन – क्षेत्रों में विभाजित किया, जायेगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होंगे ।
- किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा उपबंधित कर सकता है।

243 - घ (वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना) -• ऐसी नगरपालिका क जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया

जायेगा, जो एक या अधिक वार्ड से मिलकर बनेगी। वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का

सदस्य होगा ।

243 - न (स्थानो का आरक्षण) -

प्रत्येक नगरपालिका में अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल

संख्या से अनुसार वहीं होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसुचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसुचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है ।

आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथारिथति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित अनुसूचित

ज़ातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे ₽(किन्तु छ.ग. में 50 प्रतिशत हो गया है।) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा, उपवंधित करे।

243 - प (नगरपालिका की अवधि) -

प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विंधटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं 1

यदि छः माह से कम अवधि बचा हो तो निर्वाचन आवश्यक नही है, किन्तु छः माह से अधिक समय बचा हो तो चुनाव किया -जा सकता है किन्तु शेष कार्यकाल हेतु ।

243 - फ (सदस्यता के लिये निरर्हतॉए) -

243 — व (नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व)

इस संविधान के उपवंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल , द्वारा स्थापित विधि

243 - म (नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ) -

ऐसे कर शुक्क पथकर और फीसे उदगृहित संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका को ऐसी प्रकिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेंगा । राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेंगा ।

243 - म (राज्य वित्त आयोग) -

अनुच्छेद 243-झ के अधीन गठित वित आयोग नगरपालिकाओं की वित्तिय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा।


243 - य (नगरपालिकाओं की लेखाओं का संपरीक्षा) -

किसी राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे मे उपबंध कर सकेगा।

#### छ.ग. मे नगरीय प्रशासन

- छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 को 2016 में संशोधित कर छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 2016, राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया ।
- छ.ग नगरीय निकाय की सरंचना ,

नगरीय निकाय	छ.ग में संख्या	प्रशासनिक प्रमुख	राजनैतिक प्रमुख		
			अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	पार्षद
1. नगर निगम	13	नगर निगम आयुक्त (Commissinar)	महापौर (प्रत्यक्ष)	प्रवधान नही	पार्षद (प्रत्यक्ष चुनाव)
2. नगर पालिका परिषद्	44	मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)	अध्यक्ष (प्रत्यक्ष)	उपाध्यक्ष (अप्रत्यक्ष पार्षद में से एक)	पार्षद (प्रत्यक्ष चुनाव)
3. नगर पंचायत	112	मुख्य नगर अधिकारी (CMO)	अध्यक्ष (प्रत्यक्ष)	उपाध्यक्ष (अप्रत्यक्ष पार्षद में से एक)	पार्षद (प्रत्यक्ष चुनाव)



#### नगर निगम (13)

- सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला-(1) दुर्ग (03 दुर्ग, भिलाई, चरौदा) , रायपुर (02, रायपुर , बीरगांव)
- नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान राज्य शासन करता है।

JCG PSC(ABEO)20141

छ.ग. के सबसे प्राचीन नगर निगम — रायपुर (1967) , नवीनत्म — चरोदा (2016)

#### नगरपालिका (44)

 सर्वाधिक नगरपालिका वाले जिले दुर्ग एवं जांजगीर – चांपा जांजगीर-चांपा (04) – 1. जांजगीर 2. चांपा 3. अकलतरा 4. सक्ती

#### नगर पंचायत (112)

♦ सर्वाधिक नगर पंचायत वाला जिला जांजगीर—चांपा (11)
 1. खरौद 2. नया वाराद्वार 3. शिवरीनारायण 4. वालोद 5. अङ्भार 6. जैजैपुर 7. ङभरा 8. चन्द्रपुर 9. सरगांव 10. नावागढ़ 11. राहौद

#### विशेष - • भारत प्रथम नगर निगम मदास में गठन किया गया ।

- नगरीय निकाय संवैधानिक व्यवस्था के तहत्
- 1. नगर निगम
- 2. नगरपालिका
- 3. नगर क्षेत्र समितियाँ
- 4. अधिसूचित क्षेत्र समिति
- 5. छावनी परिषद
- पार्षद चुनाव हेतु न्युन्तम आयुं सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए । [cg PSC Pre. 2016]
- नगर पालिका के अध्यक्ष हेतु न्युन्तम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए । [cg PSC Pre. 2018]
- यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णव राज्य सरकार लेगा ,केन्द्र सरकार के अनुमोदन में अध्यधीन । [cg PSC (Pre.) 2016]
- कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष और पार्षद पद का चुनाव एक साथ ( simultan eously ) लड़ सकता है। [cg PSC (Pre.) 2015]
- नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ( president of municipl counci ) प्रत्यावर्तन के विषय में ( RECALL ) के विषय में
   [cg PSC (Pre.) 2016]

परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्तांतरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रकिया प्रारंम्भ की जा सकती है ।

2. सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

3. पूरे कार्यकाल में केवल एक बार ही प्रत्यावर्तन की प्रकिया प्रारंम्भ की जाती है ।

• नगरपालिका परिषद (municipl counci) की अवधि पांच वर्ष तक होती है। तथा अध्यक्ष एवं पार्षद (councillors) कासामान्य कार्यकाल परिषद् की अवधि (duration of municipl council) पर निर्भर होता है। अर्थात सामान्य 5 वर्ष का होता है। [cg PSC(ADI.) 2017]

 यदि नगरीय निकाय के किसी भी परिषद पांच वर्ष की अविध के पूर्व भंग की जाय तो, नई परिषद, पूर्व परिषद की शेष अविध तक बनी रहेगी । [cg PSC ADI. 2017]

• नगरपालिका परिषद के विषय में सही क्या है -

- 1. यह मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है
- 2. तब इसे वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है ।
- 3. वित्त समिति या सपरिषद् अधयक्ष बजट को उपान्तरित कर सकते है ।
- 4. तत्पश्चात नगरपालिका परिषद् बजट को परिवर्तन सहित या बिना किसी परिवर्तन को पारित करेंगी
- तत्पश्चात इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यशासन को भेजा जाएगा ।